



31411

क्रमांक 2286700
2286710

नव भवन चैन्य 10 अशोक नगर, लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

पत्रांक : 2280 / 05 / 76 / एक / 2015-16

सेवा में

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभियान
जनपद कानपुर नगर।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा दूड़ा को प्रेषित की गयी धनराशि की सूचना का प्रेषण।

महोदय,

अभियान द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को आईएवएसडीपी योजनानुर्भव नियंत्रित प्रवरण के अनुसार धनराशि आन्तरिकी जा चुकी है।

जनपद का नाम	अनुदान संख्या	आवास संख्या	धनराशि का प्रेषण (लाख रु 0 में)		
			खाता संख्या	आईएसडीपी कोड	धनराशि
कानपुर नगर/शिवराजपुर योग	अनु० ८३ बीएलए	132	02981000135746	IIISC Code HDFC 0000298	69.693
1	2	3	4	5	6
			67.293	2.40	69.693
			67.293	2.40	69.693

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का वय आईएवएसडीपी योजनानुर्भव सम्बन्धित मूल्यवृद्धि की ढीपीआर के साथ पठित पीएफएडी तथा भारत सरकार के द्वारा जारी स्वीकृतियों में वर्णित मदों पर ही किया जाये जिनके लिये धनराशि स्वीकृत की गयी है। परियोजना की ढीपीआर में स्वीकृत दरों एवं कार्य की भौतिक प्रगति को दृष्टिगत रूप से ही कार्यदायी संस्था को तदनुसार धनराशि दी जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि जितनी धनराशि कार्यदायी संस्था को दी गई है, उसल पर उसके सापेक्ष भौतिक प्रगति भी होनी चाहिए। उपरोक्त गद के अतिरिक्त अन्य किसी मद में वय करना और दिशा निर्देशों का अनुपालन न करना वित्तीय अनियमितता ली श्रेणी में आयेगा। किसी भी दशा में कोई व्यवहरण अनुमन्य न होगा। आप अवगत हैं कि भारत सरकार द्वारा परियोजना को पूर्ण करने की निर्धारित अवधि मार्च 2015 निर्धारित थी जो व्यवहारी हो चुकी है। भारत सरकार को प्रश्नगत परियोजना की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने हैं, ऐसी स्थिति में उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था को 10 दिवस के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में अग्रेतर कोई भी मूल्यवृद्धि यदि होती है तो उसका उत्तरदायित्व जनपद का होगा। प्रश्नगत धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व दूड़ा द्वारा एमओओयू कार्यदायी संस्था से करना होगा जिसमें निम्न विन्दुओं का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा—

- समस्त कार्य मूल्यवृद्धि की ढीपीआर के आधार पर प्राथमिकता पर पूर्ण करने होंगे।
- दिसम्बर 2015 तक प्रत्येक दशा में उपयोगिता प्रमाण पत्र सूडा गुरुत्वालय को उपलब्ध कराने होंगे।
- इस गुरुत्वालय के बाद पुनः किसी प्रकार की मूल्यवृद्धि देय नहीं होगी।
- उपलब्ध स्वीकृत धनराशि से समस्त निर्माण कार्य पूर्ण करने होंगे।
- निर्माणाधीन आवास निर्माण पर लाभार्थी अंशदान संशोधित दरों पर दूड़ा द्वारा कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा लाभार्थी अंशदान न उपलब्ध कराये जाने की दशा में उत्तरी लागत का कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा छोड़ दिया जायेगा जैसाकि पूर्व में निर्देश निर्माण किये गये हैं।
- कार्य पूर्ण होने के उपरान्त केन्द्र/राज्य सरकार के निर्देशानुसार परियोजना की कलोजर रिपोर्ट अभियान मुख्यालय को दूड़ा के माध्यम से उपलब्ध करानी होगी।



३१५/२

दूसरा 2286700
2286710

नव घरना केन्द्र, १० अशोक नगर, लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- ७ सृजित की गई परिसम्पत्तियों का स्थानान्तरण रामबन्धु नगर निकाय (यूप्ल००१०) को करना होगा और उक्त का प्रमाण पत्र रूढ़ा को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

भवदीय

(लाल प्रताप सिंह)

वित्त नियन्त्रक

✓

पत्रांक एवं दिनांक ताँव।

प्रतीलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
- परीक्षक, उ०प०० सी० एण्ड डी०एस० नि० इकाई रूढ़ा-कानपुर नगर।
- परियोजना अधिकारी-रूढ़ा
- कम्प्यूटर रोल/लेखा विभाग-रूढ़ा।

(लाल प्रताप सिंह)

वित्त नियन्त्रक

✓